माननीय जीसी मितल और एसएस ग्रेवाल, जे.जे. के समक्ष

कमल कांत और अन्य,-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, - प्रतिवादी।

1990 की सिविल रिट याचिका संख्या 7991 ।

5 फरवरी, 1991.

पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) नियम, 1951 जैसा कि हरियाणा राज्य द्वारा संशोधित किया गया है - रिस। *7.* भाग 'सी' के 8, 10(i) और (ii) , 1, 7 और 8 भाग 'डी' - न्यायिक सेवाओं में रिक्तियों को भरना - लोक सेवा आयोग उन सभी उम्मीदवारों के नाम सूचित करने के लिए बाध्य है, जिन्होंने कुल मिलाकर 55 प्रतिशत अंक प्राप्त किए - राज्य सरकार को उच्च न्यायालय को सूचित करते हुए ऐसे नामों को राजपत्र में प्रकाशित करना आवश्यक है। उच्च न्यायालय के रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करना - उच्च न्यायालय के रजिस्टर में अपना नाम शामिल न किए जाने से व्यथित याचिकाकर्ताओं को विज्ञापित और प्रत्याशित रिक्तियों के खिलाफ विचार करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया - उनके नाम उच्च न्यायालय को नहीं भेजने में राज्य सरकार की कार्रवाई शामिल करना अवैध है और नीलिमा शांगला के मामले में निर्धारित कानून के अनुसार नहीं है - उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी योग्य उम्मीदवारों के नाम आगे बढ़ाने का निर्देश दिया - इसके बाद, उच्च न्यायालय ने उक्त नामों को रजिस्टर में लाने का निर्देश दिया - उच्च न्यायालय को फिर भरना चाहिए शेष रिक्तियां नियमानुसार।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि नीलिमा शांगला के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के संदर्भ में, हम हरियाणा राज्य को उन **42** उम्मीदवारों की सूची अग्रेषित करने का निर्देश देते हैं, जो दिसंबर, **1988** में आयोजित परीक्षा (**32** सामान्य और **10** आरक्षित) में उत्तीर्ण हुए थे और उच्च न्यायालय नियमों के भाग डी के नियम **8** के संदर्भ में आवश्यक संख्या में उम्मीदवारों के नाम योग्यता के क्रम में रजिस्टर में दर्ज करेगा। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के नाम भी इसी तरह रजिस्टर पर लाये जायेंगे। इसके बाद उच्च न्यायालय शेष रिक्तियों को भरने पर विचार करेगा और अनुच्छेद **234** के तहत नियमों के भाग डी के नियम **7(1)** के अनुसार अधीनस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अपेक्षित संख्या में उम्मीदवारों के नाम राज्य सरकार को भेज देगा। ऐसा करते समय उच्च मानक के हित में यह उच्च न्यायालय के लिए खुला होगा कि वह **55** प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश न करे और नियुक्ति केवल उन उम्मीदवारों तक सीमित की जा सकती है जिन्होंने **55** प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसका निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा सरकार की सहमति से लिया जायेगा ।

(पैरा 14)

यह अभिनिर्धारित किया गया कि जनवरी, **1991** में भेजी गई मांग के आधार पर चयन प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए, क्योंकि इसमें समय लगता है, और इससे उम्मीदवारों के चयन और उस समय उपलब्ध रिक्तियों को भरना सुनिश्चित होगा। नियमों के भाग डी के नियम **8** के अनुसार चयन की तारीख से दो साल के भीतर प्रत्याशित रिक्तियां होने की संभावना है।

{पैरा **16)**

अनुच्छेद **226** के तहत दर्ज याचिका में यह प्रार्थना की गई कि ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और अधीनस्थ न्यायिक अदालतों द्वारा न्याय की कुशल व्यवस्था सुनिश्चित करने के हित में: यह माननीय न्यायालय : -

i. क्रम संख्या **12** से **26, 28, 29, 32** और **35** से **37** पर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों का चयन करने के लिए प्रतिवादी संख्या **1** को निर्देश देने वाला एक परमादेश रिट जारी करना, जो **15** सितंबर, **1989** की अधिसूचना में **37** अनुलग्नक पी-**2** में क्रम संख्या **12** से **26, 28, 29 32** और **35** पर दिखाए गए है, जोकि हरियाणा अधीनस्थ न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए योग्य हैं क्योंकि उन्होंने हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा में कुल मिलाकर **55** प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए थे। सेवा नियमों के भाग डी के नियम **8** के साथ पठित भाग सी के नियम **10** द्वारा परिकल्पित अपने वैधानिक दायित्व के अनुपालन में और क्रम संख्या **12** से **26, 28, 29, 32** में दर्शाए गए योग्य उम्मीदवारों के नाम अग्रेषित करना। सेवा नियमों के भाग डी के नियम **1** द्वारा परिकल्पित उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए रजिस्टर में उनके नाम दर्ज करने के लिए क्रमांक **35** से **37** ताकि उच्च न्यायालय सभी मौजूदा रिक्तियों को भरने में सक्षम हो सके और साथ ही उन रिक्तियों को भी भर सके जो इस दौरान उत्पन्न होने की उम्मीद है। परिणाम के प्रकाशन की तिथि से **2** वर्ष की अवधि परीक्षा अर्थात् सितम्बर **1991** तक:

ii. उच्च न्यायालय को सभी योग्य उम्मीदवारों के नाम रजिस्टर में दर्ज करने का निर्देश देना, जिसे सेवा नियमों के भाग डी के नियम ***1*** द्वारा परिकल्पित उच्च न्यायालय द्वारा बनाए रखा जाना आवश्यक है और सभी मौजूदा रिक्तियों को भरना है, चाहे स्थायी, अस्थायी या स्थानापन्न और वे रिक्तियां भी जो क्रम संख्या ***12*** से ***26, 27, 29, 32*** और ***35*** से ***37*** में दिखाए गए योग्य उम्मीदवारों में से सितंबर, ***1991*** तक पहले ही हो चुकी हैं या होने की उम्मीद है और योग्य उम्मीदवारों के नाम राज्य सरकार को अग्रेषित करें ताकि शेष योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति के आदेश जारी किये जाये |

iii. उच्च न्यायालय से शेष योग्य उम्मीदवारों के नाम प्राप्त होने पर प्रतिवादी नंबर ***1*** को मौजूदा रिक्तियों और रिक्त पदों को भरने के लिए शेष योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया है और वे रिक्तियां भी जो अधीनस्थ न्यायिक सेवा के कैडर में सितंबर,***1991*** तक होने की संभावना है।

iv. प्रतिवादी क्रमांक ***2*** को निर्देश देते हुए कहा कि प्रतिवादी क्रमांक ***1*** से शेष योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश प्राप्त कर पदस्थापन आदेश जारी करें:

v. कोई अन्य उचित रिट आदेश या निर्देश, जिसे यह माननीय न्यायालय उचित समझे, याचिकाकर्ताओं के पक्ष में और उत्तरदाताओं के विरुद्ध भी दिया जाए।

vi. रिट याचिका के साथ संलग्न अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने की आवश्यकता को कृपया समाप्त किया जाए:

vii. उत्तरदाताओं को रिट याचिका के प्रस्ताव की अग्रिम सूचना देने की आवश्यकता से भी छुटकारा मिल जाए ;

viii. इस रिट याचिका की लागत भी उत्तरदाताओं के खिलाफ याचिकाकर्ताओं को दी जाए।

इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी संख्या **1** को हरियाणा अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं में भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू करने से रोकने का निर्देश देने वाला एक अंतरिम आदेश दिया जाए।

याचिकाकर्ताओं के लिए एमएस जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता और संजीव शर्मा, अधिवक्ता ।

प्रतिवादी नंबर **1** के लिए एससी मोहंता, एजी हरियाणा और एसके सूद, एएजी हरियाणा ।

प्रतिवादी संख्या *2* के लिए जीसी गर्ग, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री राजन गुप्ता, अधिवक्ता ।

निर्णय

न्यायमूर्ति गोकल चंद मितल,

(1) **1990** की सिविल रिट याचिका संख्या **7991, 9096** और **16681** में उठाया गया मुद्दा 'नीलिमा शांगला बनाम हरियाणा राज्य [1]' में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में शामिल है। हमें यह देखकर दुख हो रहा है कि उपरोक्त निर्णय में कानून की स्पष्ट व्याख्या के बावजूद राज्य सरकार द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है।

(2) **15** जुलाई, **1988** को हरियाणा लोक सेवा आयोग (संक्षेप में 'आयोग') ने हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) में **24** अधिकारियों की भर्ती के लिए पद विज्ञापित किया। बाद में, राज्य सरकार ने आयोग को सूचना भेजी कि मौजूदा रिक्तियां **28** हैं। तदनुसार, **28** अधिकारियों की भर्ती के लिए एक नया विज्ञापन प्रकाशित किया गया था।

(3) दिसंबर, **1988** में लिखित परीक्षा आयोजित की गई और उसके परिणाम समाप्त के बाद, सभी लिखित पेपरों में कुल मिलाकर **45** प्रतिशत अंक और भाषा के पेपर में **33** प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को जुलाई, **1990** में पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) नियम, **1951,** हरियाणा राज्य द्वारा संशोधित (संक्षेप में 'नियम') के भाग 'सी* का नियम **7** के अनुसार साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। नियमावली के भाग 'सी' के नियम **8** के अनुसार वे अभ्यर्थी जिन्होंने मौखिक परीक्षा सहित सभी प्रश्नपत्रों में कुल मिलाकर **55** प्रतिशत से कम अंक प्राप्त नहीं किए हैं, उन्हें परीक्षा में उत्तीर्ण माना जाता है। भाग 'सी' के नियम **10 (i)** के तहत ऐसे उम्मीदवारों का परिणाम हरियाणा सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाना है और उप नियम **(ii)** के तहत उम्मीदवारों को

[1]ए. आई. आर. 1987 एस.सी. 169.

नियुक्ति के लिए उसी क्रम में चुना जाना है जिसमें उन्हें रखा गया है। आयोग द्वारा योग्य अभ्यर्थियों की सूची अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और पूर्व सैनिकों के लिए कुछ सीटों के आरक्षण के अधीन है

(4) परीक्षा में सामान्य वर्ग के बत्तीस और आरक्षित वर्ग के दस उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए। **16** सितम्बर, **1989** को परिणाम सरकारी राजपत्र (अनुलग्नक पी/**2**) में प्रकाशित किया गया।

(5) फिर हम नियमों के भाग 'डी' के नियम **1, 7** और **8** से चिंतित हैं। नियम **1** के तहत अधीनस्थ न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा चयनित उम्मीदवारों के नाम उनके चयन के क्रम में उच्च न्यायालय रजिस्टर में दर्ज किए जाने हैं। नियम **7(1)** में प्रावधान है कि जब भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को यह प्रतीत होगा कि हरियाणा सिविल सेवा की न्यायिक शाखा के कैडर में कोई रिक्ति या रिक्तियां, चाहे वह स्थायी, अस्थायी या स्थानापन्न हो, भरी जानी चाहिए, तो वे उच्च न्यायालय रजिस्टर से उसी क्रम में चयन करेंगे जिसमें नाम दर्ज किए गए हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद **234** के तहत अधीनस्थ न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवारों के नाम सरकार को अग्रेषित करेंगे ।

(6) फिर हमारा संबंध नियमों के नियम **8** से है जो अधिक महत्वपूर्ण है।

(7) नियमों के नियम **8** के तहत उच्च न्यायालय के रजिस्टर में रखे जाने वाले नामों की संख्या की कोई सीमा नहीं है, लेकिन आम तौर पर परीक्षा के परिणामस्वरूप उम्मीदवारों के चयन की तारीख से दो साल के भीतर संभावित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होने के अनुमान से अधिक नाम शामिल नहीं किए जाएंगे। यह नियम उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए रजिस्टर से चयनित उम्मीदवारों के नामराज्य सरकार को भेजने का विकल्प देता है। यह नामों की संख्या चयन के समय मौजूद रिक्तियों को भरने और प्रत्याशित रिक्तियों जो चयन की तारीख से दो साल के भीतर होने की संभावना है, के अनुसार भेजे जाएं।

(8) पहले आयोग इन नियमों का पालन नहीं कर रहा था, यही कारण है कि नीलिमा शांगला के मामले (सुप्रा) में नियमों की व्याख्या करते समय, कानून का एक स्पष्ट आदेश दिया गया था कि लोक सेवा आयोग उन सभी उम्मीदवारों के नाम राज्य सरकार को सूचित करने के लिए बाध्य है, जिन्होंने मौखिक परीक्षा सहित सभी पेपरों में कुल मिलाकर कम से कम **55** प्रतिशत अंक हासिल किए हों। राज्य सरकार को उनके नाम सरकारी गजट में प्रकाशित करने थे। यह भी फैसला सुनाया गया कि सरकार उनके नामों को उच्च न्यायालय के रजिस्टर में दर्ज करने के लिए उच्च न्यायालय को सूचित करेगी और उच्च न्यायालय चयन के समय मौजूदा रिक्तियां, प्रत्याशित रिक्तियां और अभ्यर्थियों के चयन की तारीख से दो साल के भीतर संभावित रिक्तियों को भरने के लिए योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों के नाम दर्ज करने की सिफारिश करेगा। हालांकि आयोग ने सभी नामों की सूचना राज्य सरकार को दे दी और राज्य सरकार ने सभी योग्य उम्मीदवारों के नाम राजपत्र में प्रकाशित कर दिए, लेकिन उच्च न्यायालय के रजिस्टर में उनके नाम दर्ज करने के लिए सूची को उच्च न्यायालय को नहीं भेजा। जिस

कारणवश उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सामान्य कोटा और आरक्षित श्रेणियों में चयनित उम्मीदवारों के नाम योग्यता के क्रम में राज्य सरकार को भेजने में असक्षम रहा । इसके बजाय सरकार ने दिसंबर, **1989** में सामान्य कोटे से **8** और तीन श्रेणियों के आरक्षित कोटे नामतः अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और पूर्व सैनिक से **8** उम्मीदवारों की नियुक्ति का आदेश दिया।। नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद **16** अभ्यर्थियों के नाम हाईकोर्ट रजिस्टर में दर्ज किए गए और उनके पदस्थापन आदेश हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए।

(9) राज्य सरकार ने **15** मार्च, **1990** को सामान्य वर्ग के दो और उम्मीदवारों को नियुक्त किया और अप्रैल, **1990** में दो और उम्मीदवारों को नियुक्त किया, जिनमें से प्रत्येक अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग से था। राज्य सरकार से सूचना मिलने पर इन चारों अभ्यर्थियों के नाम भी हाईकोर्ट रजिस्टर में दर्ज कर दिए गए और हाईकोर्ट द्वारा पोस्टिंग आदेश जारी कर दिए गए। इस प्रकार सामान्य वर्ग के **10** तथा आरक्षित वर्ग के **10** अभ्यर्थियों यानि कुल **20** अभ्यर्थियों को नियुक्ति/तैनाती दी गई। चूंकि अधिसूचित रिक्तियां **28** थीं और कुछ और रिक्तियां निकली थीं और चयन के दो साल के भीतर कुछ प्रत्याशित रिक्तियां होने की उम्मीद थी, इसलिए जो उम्मीदवार योग्यता में नीचे थे और सभी रिक्तियां भरने की स्थिति में अपनी नियुक्ति की उम्मीद कर रहे थे, वे इस न्यायालय में आए हैं। रिट याचिकाओं में नियमों के अनुपालन के लिए निर्देश जारी करने के लिए और नियमों के भाग डी के नियम **7(1)** के संदर्भ में उच्च न्यायालय के निर्देश पर रिक्तियाँ भरने के लिए आदेश जारी करने का आग्रह किया गया है ।

(10) लिखित बयान के पैरा **10** में राज्य सरकार का रुख यह है कि सामान्य कोटे की **11** रिक्तियां राज्य सरकार के विचाराधीन हैं क्योंकि **28** विज्ञापित पदों की सूची में से **11** पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से भरे जाने थे और इस संबंध में निकट भविष्य में निर्णय लिए जाने की संभावना है।

(11) लिखित बयान के पैरा **8** में राज्य सरकार का यह भी कहना है कि **11** रिक्तियां जिनमें से **3** सामान्य श्रेणी की और **8** आरक्षित श्रेणियों की रिक्तियां भरने के लिए जनवरी, **1991** में आयोग को अधियाचन भेजा गया था और इसलिए सितंबर, **1989** में प्रकाशित परीक्षा की मेरिट सूची से किसी और उम्मीदवार की नियुक्ति का सवाल ही नहीं उठता।

(12) उच्च न्यायालय द्वारा अपने लिखित बयान में लिए गए रुख के अनुसार उप न्यायाधीशों के **128** पदों की कैडर शक्ति थी , जिसके विरुद्ध परिणाम के प्रकाशन के समय **105** अधिकारी कार्यरत थे। इस आधार पर **23** रिक्तियां थीं । इस बीच, एक अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया और कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत किया गया। मई, **1990** में उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सूचित किया कि वर्तमान योग्यता सूची से **19** उम्मीदवारों की नियुक्ति के बाद भी **13** रिक्तियां भरी जानी थीं और सितंबर, **1991** तक **4** रिक्तियां भरने की उम्मीद थी।

(13) आज जो तथ्यात्मक विवरण सामने आया है वह यह है कि राज्य सरकार ने अब तक **20** अधिकारियों को नियुक्त किया है और इसलिए मौजूदा रिक्तियां **12** और अनुमानित **4** हैं। राज्य सरकार नियुक्ति के लिए सामान्य वर्ग के एक उम्मीदवार पर विचार कर रही है लेकिन शेष रिक्तियों को भरने पर विचार नहीं कर रही है। हालाँकि ऐसे उम्मीदवार उपलब्ध हैं जिन्होंने कुल मिलाकर **55** प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं।

(14) नीलिमा शांगला मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के संदर्भ में **,** हम हरियाणा राज्य को निर्देश देते हैं कि वह दिसंबर**, 1988** में आयोजित परीक्षा (**32** सामान्य और **10** आरक्षित) में अर्हता प्राप्त करने वाले **42** उम्मीदवारों की सूची तुरंत अग्रेषित करें। और उच्च न्यायालय भाग डी के नियम **8** के संदर्भ में**,** उतनी संख्या में उम्मीदवारों के नाम योग्यता के क्रम में रजिस्टर में दर्ज करेगा। आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के नाम भी इसी प्रकार रजिस्टर पर लाये जायेंगे। इसके बाद उच्च न्यायालय शेष रिक्तियों को भरने पर विचार करेगा और नियमों के भाग डी के नियम **7(1)** के अनुसार एवं संविधान के अनुच्छेद **234** के तहत अधीनस्थ न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित संख्या में उम्मीदवारों के नाम राज्य सरकार को भेजेगा।ऐसा करते समय उच्च मानक के हित में यह उच्च न्यायालय के लिए खुला होगा कि वह **55** प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश न करे और नियुक्ति उन उम्मीदवारों की संख्या तक सीमित की जा सकती है जिन्होंने **55** प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसका निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा सरकार की सहमति से लिया जायेगा ।

(15) हम राज्य सरकार की ओर से अपनाए गए एक और रुख से निपट सकते हैं। राज्य सरकार ने जनवरी**,** ***1991*** में एच.सी.एस. (न्यायिक शाखा) के **11** पदों**,** सामान्य के **3** और आरक्षित श्रेणियों के **8** पदों को भरने के लिए आयोग को मांग भेजी थी । सरकार का रुख यह है कि अंतिम चयन के बाद जो रिक्तियां खाली रह गई हैं**,** उन्हें योग्य उम्मीदवारों की अंतिम चयन सूची से नीचे के मेरिट वाले उम्मीदवारों से नहीं भरा जाना चाहिए। नीलिमा शांगला के मामले (सुप्रा) में शीर्ष न्यायालय द्वारा कानून की स्पष्ट व्याख्या को देखते हुए**,** हमें इस विवाद में कोई योग्यता नहीं दिखती है।

(16) जनवरी**, 1991** में भेजी गई अधियाचना के आधार पर चयन प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए**,** क्योंकि इसमें समय लगता है**,** और यह उम्मीदवारों के चयन के समय उपलब्ध रिक्तियों को और नियमों के भाग डी के नियम **8** के अनुसार चयन की तारीख से दो साल के भीतर होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरना सुनिश्चित करेगा।

(17) चूँकि पंजाब राज्य में अधीनस्थ न्यायाधीशों के चयन/नियुक्ति के लिए समान नियम लागू होते हैं**,** इसलिए हम निर्देश देते हैं कि इस निर्णय की एक प्रति पंजाब सरकार के गृह/न्यायिक विभाग को भेजी जाए ताकि वे भी इस पर अमल कर सकें। हमारे द्वारा दिए गए आदेश और निर्देश और अपेक्षित नियमों का अनुपालन करें।

(18) उपरोक्त आदेश और निर्देशों के साथ तीनों रिट याचिकाएं लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के निस्तारित की जाती हैं।

आरएनआर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अक्षय अरोड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी हरियाणा